एसआईआर : मन में उठे सवालों को ऐसे समझें

प्रदेश में चल रही मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया

प्रशासनिक संवाददाता
भोपाल, 15 नवंबर. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है. 4 नवंबर से बीएलओ मतदाताओं के घर-घर जाकर गणना पत्रक का वितरण कर रहे हैं. एसआईआर को लेकर मतदाताओं के मन में कई सवालों को लेकर असमंजस की स्थिति भी है. चुनाव आयोग ने मतदाताओं के मन में उठने वाले सवालों के जवाब दिए हैं, जिससे कि एसआईआर को लेकर भ्रम की स्थिति दूर हो सके.

सवाल और उनके जवाब

प्रश्न 1- क्या गणना अवधि में गणना पत्रक के साथ कोई दस्तावेज निर्वाचक से लेना है ?

उत्तर - गणना अवधि में बीएलओ द्वारा कोई दस्तावेज निर्वाचन से प्राप्त नहीं किया जाएगा.

प्रश्न 2 - यदि कोई निर्वाचक अपना फार्म किन्हीं कारणों से प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो उसको निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ने के लिए क्या विकल्प है?

उत्तर- ऐसे व्यक्ति प्रारूप 6 में घोषणा पत्र के साथ अपना आवेदन नाम जोड़ने के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं.

प्रश्न 3-जिन निर्वाचकों का गणना फार्म प्राप्त नहीं होगा, उनका नाम प्रारूप निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होगा या नहीं तथा इसकी जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध होगी या नहीं?

उत्तर- जिन निर्वाचकों का गणना पत्रक प्राप्त नहीं होगा, उन्हें एब्सेंट/ शिफ्टेड /डेड/ रिपीटेड के रूप में बीएलओ द्वारा पड़ोसी से जांच कर चिंह्नाकित कर सूचीबद्ध किया जाएगा तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मप्र की वेबसाइट पर प्रारूप निर्वाचक नामावली प्रकाशन के समय ही प्रदर्शित किया जाएगा. बीएलओ यह सूची अनिवार्यत: बनाएंगे तथा बीएलओ एप पर भी इसकी प्रविष्टि करेंगे.

प्रश्न 4- क्या घर-घर जाकर गणना के समय कोई भी नए इलेक्टर के रूप में अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है?

उत्तर - हां कर सकता है, उसे प्रारूप 6 के साथ घोषणा फॉर्म भरना होगा.

प्रश्न 5- 1 अप्रैल 1 जुलाई तथा 1 अक्टूबर 2026 की अर्हता तिथि में अग्रिम आवेदन प्राप्त किया जा सकते हैं ?

उत्तर -हां

प्रश्न 6- गणना अवधि में बीएलओ के मुख्य कार्य क्या हैं?

उत्तर -गणना पत्रकों का वितरण -पूर्व एसआईआर से लिंकिंग का कार्य, भरे हुए प्रपत्रों के संग्रहण का कार्य, गणना पत्रक पर पिछले एस आई आर मतदाता सूची से सत्यापन का कार्य, बीएलओ एप में गणना पत्रक से प्रविष्टि का कार्य, एब्सेंट/ शिफ्टेड /डेथ/ रिपीटेड अंकित करने का कार्य, समस्त भरे हुए गणना पत्रक एआरओ को सौंपने का कार्य.

प्रश्न 7-बीएलओ गणना प्रपत्र में कितनी प्रति में प्राप्त करेगा?

उत्तर- बीएलओ गणना प्रपत्र दो प्रतियों में निर्वाचक को प्रदान करेगा जिसकी एक प्रति प्राप्त करते हुए दूसरी प्रति पर निर्वाचक को पावती देगा अर्थात एक प्रति बीएलओ के पास तथा एक प्रति निर्वाचक के पास रहेगी.

प्रश्न 8-यदि किसी निर्वाचक द्वारा ऑनलाइन गणना पत्रक प्रस्तुत किया है तो उसका वेरिफिकेशन कौन करेगा?

उत्तर- निर्वाचन द्वारा भरे गए ऑनलाइन गणना पत्रक सीधे बीएलओ ऐप में लिंकिंग सहित प्रदर्शित होते हैं अत: बीएलओ द्वारा घर-घर विजिट के दौरान उसका सत्यापन अंकित किया जाएगा.

प्रश्न 9- बीएलओ पूर्व एसआईआर की निर्वाचक नामावली से लिंकिंग के अतिरिक्त भी अन्य दस्तावेजों की घर-घर जांच विजिट के दौरान करेंगे?

उत्तर- नहीं केवल पूर्व एसआईआर के निर्वाचक नामावली से जांच कर सत्यापन करना है.

प्रश्न 10 -क्या घर-घर गणना विजिट के दौरान कोई नोटिस दिया जाना है?

उत्तर -गणना विजिट के दौरान कोई नोटिस नहीं दिया जाना है.

प्रश्न 11-किसी निर्वाचक की मृत्यु हो गई है तो क्या उसका मृत्यु प्रमाण पत्र परिवार से ले सकते हैं?

उत्तर -हां.

प्रश्न 12-किसी निर्वाचक का नाम पूर्व की एसआईआर की मतदाता सूची में है अथवा नहीं है तो उसका प्रपत्र में लिंकिंग किस प्रकार अंकित की जाएगी?

उत्तर -1 पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण उपलब्ध होने पर तीसरी सारणी के बाएं भाग एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण में चाहा गया विवरण अंकित किया जाएगा इसमें प्रविष्टि वही होगी जो पूर्व एसआईआर की नामावली में अंकित है.

2- यदि निर्वाचक का नाम पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में अंकित नहीं है तथा उसके पिता /माता /दादा/ दादी जो पूर्व एसआईआर की निर्वाचक नामावली में उपलब्ध हो का विवरण पूर्व की एसआईआर की निर्वाचक की नामावली में अंकित किया जाएगा.

प्रश्न 13 -किसी निर्वाचक द्वारा अपूर्ण फॉर्म भरा जाता है या लिंकिंग की जानकारी सत्यापित नहीं होती है तो उसका हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान वाला फार्म प्राप्त किया जाना है या अथवा नहीं ?

उत्तर -किसी भी निर्वाचन का हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान वाला फॉर्म अनिवार्यत: प्राप्त किया जाना है . संवीक्षा की कार्यवाही प्रारूप प्रकाशन के उपरांत की जाएगी.

प्रश्न 14 -किसी निर्वाचक द्वारा अपूर्ण फॉर्म भरा जाता है या लिंकिंग की जानकारी सत्यापित नहीं होती है तथा फार्म प्राप्त होने पर क्या प्रविष्टि प्रारूप निर्वाचक नामावली में शामिल होगी?

उत्तर -हां प्रारूप निर्वाचक नामावली में शामिल होगी.

मंडीदीप में एक्यूआई 331, रहवासी परेशान

कंपनियों के प्रदूषण को रोकने में असमर्थ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

मंडीदीप, 15 नवंबर. मध्य प्रदेश सरकार प्रदूषण नियंत्रण करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, लेकिन औद्योगिक नगर मंडीदीप में कंपनियों से निकल रहे जहरीले प्रदूषण को प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड के अधिकारी रोक नहीं पा रहे हैं.

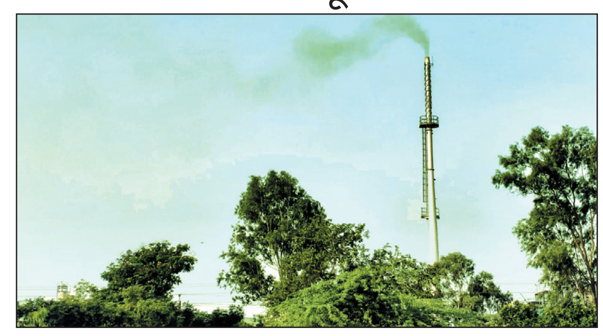

इसके चलते बीते दिन एयर इंडेक्स 331 की खतरनाक स्थिति पर पहुंच गया, जिससे शहर के लोगों मे बैचेनी देखी गई. नगर के दर्जनों लोग मास्क का उपयोग करते देखे गए. डॉक्टर आरके तिवारी का कहना है कि शहर में बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए आवश्यक हो तभी घरों से बाहर निकलें तथा मास्क का उपयोग अवश्य करें. अस्थमा पीड़ितों को अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता पर चिकित्सकों ने जोर दिया है. बता दें कि सड़कों पर धूल की परतें जमी हुई हैं, आज तक इनकी साफ सफाई नहीं की गई भारी वाहनों के हाइवे एवं कच्चे सर्विस मार्ग से निकलने के कारण धूल धुंआ का गुबार शहर में हर समय देखा जा सकता है. सड़कों पर दोनों समय पानी का छिड़काव हो तथा सड़क पर डामरीकरण एवं साफ सफाई हो तो स्थिति में कुछ हद तक सुधार हो सकता है. वही फैक्ट्रियों की चिमनियों से भी निरंतर काला धुंआ निकल रहा है. पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की उन पर मेहरबान बना हुआ है. बाकी कसर सड़क से उड़ने वाली धूल ने रहवासियों को बैचेन कर रखा है.

इनका कहना है .
प्रदूषण नियंत्रण करने के शहर में सार्थक प्रयास किया जा रहे हैं शीघ्र ही अंकुश लगाया जाएगा. प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी को निर्देशित किया है कि जहर उगलने वाली कंपनियों पर शीघ्र ही कार्रवाई की जाए
चंद्रशेखर श्रीवास्तव,
एसडीएम गोहरगंज

भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई

मंडीदीप, 15 नवंबर. मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ब्लाक समन्वय निशा पटेल के मार्गदर्शन में सेक्टर 01 मंडीदीप की नव अंकुर संस्था, नगर विकास प्रस्फुटन समिति मंडीदीप एवं वार्ड नं 18 राहुल नगर प्रस्फुटन समिति द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती धूमधाम से मनाई गई.

कार्यक्रम का आयोजन राहुल नगर वार्ड क्रमांक 18 स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्कूल में किया गया. नव अंकुर संस्था सेक्टर 01 मंडीदीप के अध्यक्ष वीर सिंह चौहान, व वार्ड क्रमांक 18 राहुल नगर प्रस्फुटन समिति के अध्यक्ष धर्मेन्द्र गोस्वामी की उपस्थिति में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150 वीं जयंती सोमवार को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाई गई.जहां जनजातीय समाज के गौरव और बिरसा मुंडा के संघर्षपूर्ण जीवन पर प्रकाश डाला गया.

जीवन में उकसाने वाले बहुत मिलेंगे, सुलझाने वाले नहीं

भोपाल. सेंट्रल जेल भोपाल के हॉल में कैदियों के समक्ष आर्यिकारत्न सृष्टि भूषण माताजी ने शनिवार को आत्म मंथन प्रवचन सत्र में कहा कि आप यहां हो, पश्चाताप करो एवं अपनी गलती को सुधारो. परमात्मा से कोई नहीं भाग सकता प्रण करो, अब कोई गलत काम नहीं करोगे. जीवन में उकसाने वाले बहुत मिलेंगे सुलझाने वाले नहीं. लूट और चोरी, बेईमानी जालसाजी के माल में हिस्सेदार सभी होते हैं, परंतु सजा और पाप के हकदार सिर्फ और सिर्फ उसको करने वाला होता है. मिठाई खाने सब आते हैं, पिटाई खाने कोई आता है? जेल में पुलिस अधिकारी आपको सजा नहीं देते, बल्कि आपके आगे के जीवन को सजाने का काम करते हैं. जेल का दूसरा नाम सुधार गृह है. आर्यिका विश्वयशमति माताजी ने भी प्रवचन में कैदियों को सीख दी.

समाज सेवा करने वालों का किया सम्मान

विधायक ने नई राह शिक्षा व समाज कल्याण समिति को 25 हजार रुपये देने की घोषणा की

बैरसिया, 15 नवंबर. दीपावली के अवसर पर गरीब एवं झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद परिवारों तक खाद्य सामग्री, कपड़े, जूते, बर्तन, पटाखे और बच्चों के वस्त्र नगर से एकत्रित कर वितरण करने वाली नई राह शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति द्वारा मानव सेवा को समर्पित सदस्यों एवं सहयोगियों का सम्मान समारोह शुक्रवार की देर रात शांतिकुंज कॉलोनी बैरसिया में संपन्न हुआ.

सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक विष्णु खत्री, विशेष अतिथि भाजपा जिला ग्रामीण अध्यक्ष तीरथ सिंह मीणा, भाजपा जिला ग्रामीण महामंत्री एवं जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि कुबेर सिंह गुर्जर, एसडीएम आशुतोष शर्मा, एसबीआई बैंक शाखा प्रबंधक आशीष तिवारी तथा थाना प्रभारी वीरेंद्र सेन विशेष तौर से उपस्थित रहे. समिति द्वारा सभी सदस्यों और सहयोगियों का माल्यार्पण एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया गया.

बता दें कि दीपावली पर्व पर समिति द्वारा चलाए गए अभियान के तहत समिति सदस्यों द्वारा बैरसिया और आसपास की झुग्गी-बस्तियों में जाकर सैकड़ों परिवारों तक दैनिक उपयोगी सामग्री पहुँचाई. इस कार्य में नगरवासियों ने भी सहयोग किया. विधायक विष्णु खत्री ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए विधायक स्वेच्छाअनुदान निधि से समिति को 25 हजार रुपये देने की घोषणा की और आगे भी हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया.

लगातार बढ़ रहा सोयाबीन का मॉडल रेट

भोपाल. भावांतर योजना 2025 के तहत सोयाबीन के मॉडल रेट में लगातार इजाफा हो रहा है. सोयाबीन विक्रेता किसानों के लिए शनिवार 15 नवंबर को 4225 रुपए प्रति क्विंटल का मॉडल रेट जारी किया गया है. यह मॉडल रेट उन किसानों के लिए है जिन्होंने अपनी सोयाबीन की उपज मंडी प्रांगणों में विक्रय की है.

6 औद्योगिक इकाइयों का भूमि-पूजन एवं लोकार्पण आज

भोपाल. प्रदेश में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए लगातार हो रहे प्रयासों की कड़ी में मुख्यमंत्री डॉ. यादव रविवार को शाजापुर के मक्सी में स्थित दशहरा मैदान से 8,174 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली 6 औद्योगिक इकाइयों का भूमि-पूजन एवं लोकार्पण करेंगे. कार्यक्रम का शुभारंभ अपरान्ह 2 बजे होगा. मुख्यमंत्री डॉ. यादव शाजापुर में 384 करोड़ रूपये की लागत से बनने वाले 4-लेन मक्सी मार्ग और मक्सी क्षेत्र शहरी मार्ग का भी शिलान्यास करेंगे. इन विकास कार्यों से अवसंरचना निर्माण और परिवहन सुगमता के साथ ही औद्योगिक गतिविधियों को बल मिलेगा. इससे क्षेत्र में विकास के साथ अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी. मुख्यमंत्री डॉ. यादव शाजापुर जिले को सांदीपनि विद्यालय की सौगात भी देंगे. कार्यक्रम में सरदार वल्लभ भाई पटेल सांदीपनि विद्यालय का शुभारंभ किया जाएगा. इस सौगात से क्षेत्र के विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षिक सुविधाएँ मिलेंगी. मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों के लिए राहत राशि का वितरण भी किया जाएगा.

आवश्यकता है

Golden Chance
Only2 Hours work
Qualification 12th
हाउस वाईफ, रिटायर्ड पर्सन, Other मंथली इन्कम 20,000+ 50,000
एम.पी. नगर, जोन-2 भोपाल म.प्र.
Contact No. 7024645323

SMFG Grihashakti
Nayi Asha. Naya Vishwas.

एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
कॉर्पोरेट कार्यालय: 503 और 504, 5वीं मंजिल, जी-ब्लॉक, इंसिप्रे बीकेसी, बीकेसी मेन रोड, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई - 400051
पंजीकृत कार्यालय: कॉमर्सोन आईटी पार्क, टॉवर बी, पहली मंजिल, नंबर 111, माउंट पूनमल्ली रोड, पोरुर, चेन्नई - 600116, टीएन

अचल संपत्ति के लिए कब्जे का नोटिस [(परिशिष्ट IV) नियम 8(1)]

चूंकि अधोहस्ताक्षरी, एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी [राष्ट्रीय आवास बैंक (भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली) के साथ विधिवत पंजीकृत] (जिसे आगे "एसएमएचएफसी" कहा जाएगा) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत, और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत नीचे उल्लिखित दिनांकित मांग सूचना जारी करते हैं, जिसमें आपसे, उधारकताओं के रूप में, (नीचे उल्लिखित नाम) उक्त सूचना में उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज की राशि, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर चुकाने का आह्वान किया गया है। नीचे उल्लिखित उधारकताओं द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने के कारण, नीचे उल्लिखित उधारकताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ, नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकताओं और आम जनता को, एतद्वारा उक्त संपत्ति से लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन "SMHFC" के प्रभार के अधीन होगा यहाँ उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज के लिए।

स. क्रं.	उधारकर्ता (एस)/ गारंटर (एस) का नाम लैन	सुरक्षित संपत्तियों का विवरण (अचल संपत्ति)	डिमांड नोटिस दिनांक और राशि	कब्जा की तिथि
1	लैन:- 604439511045781 एवं 604439210956226 1. गोविंदा सुरवाडे 2. वर्षा बाई	एक आवासीय फ्लैट संख्या S-15 का वह पूरा टुकड़ा ईडब्ल्यूएस द्वितीय तल, हुजूर ज़िले के कटारा गाँव में स्थित भोपाल, मध्य प्रदेश। उक्त इकाई संख्या "S-15" का निर्मित क्षेत्रफल 321.72 वर्ग फुट या 29.90 वर्ग मीटर है और जैसा कि संलग्न मानचित्र में दशार्या गया है जो निम्नलिखित रूप से घिरा है - पूर्व - S-14, पश्चिम - S - 16, उत्तर - मार्ग क्षेत्र, दक्षिण - खुला	21.08.2025 रु. 7,23,502/- (सात लाख तेईस हजार पाँच सौ दो) 12.08.2025 तक	11.11.2025
2	लैन:- 604407210247467 1. नावेद खान 2. सना हावेद	फ्लैट संख्या टी-2, तीसरी मंजिल, क्षेत्रफल 511.85 वर्ग फुट, प्लॉट संख्या 19-20 पर "एस एस टावर" में स्थित (चिकलोद रोड) (नजूल शीट के अनुसार) (मकान संख्या 141), अहाता कल्ला शाह, (चिकलोद रोड), जहाँगीराबाद, तहसील हुजूर, जिला भोपाल - 462001, जो नीचे से घिरा है - पूर्व - फ्लैट संख्या टी-03 का एक भाग। पश्चिम - खुली नली और गैलरी। उत्तर - अन्य। संपत्ति दक्षिण - फ्लैट संख्या टी-03	21.08.2025 रु. 5,98,611.80 (पाँच लाख अट्ठानवे हजार छह सौ ग्यारह और अस्सी पैसे) 12.08.2025 तक	11.11.2025

स्थान: भोपाल, मध्य प्रदेश
दिनांक: 11.11.2025

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी,
एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व में केपिटल फर्स्ट लिमिटेड तथा आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के संग एकीकृत)
IDFC FIRST Bank
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : केआरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +91 44 4564 4000, **फैक्स :** +91 44 4564 4022

परिशिष्ट IV [नियम 8(1)] कब्जे का नोटिस

(अचल संपत्ति के लिए)

चूंकि, अधोहस्ताक्षरी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 04.12.2021 को एक मांग सूचना जारी की, जिसमें उधारकर्ता, सह-उधारकर्ताओं और गारंटरों 1. सलीम अहमद, 2. फहबीन सलीम अहमद, 3. नसीम बी खलील अहमद से सूचना में उल्लिखित राशि रु. 35,82,554.87/- (रु. पैंतीस लाख बयासी हजार पांच सौ चौवन और सत्तासी पैसे) चुकाने का आह्वान किया गया. 01.12.2021 तक, उक्त मांग सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर (केवल एक). ऋणकर्ताओं द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने के कारण, ऋणकर्ता एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे वर्णित संपत्ति का भौतिक कब्जा आज 12 नवंबर 2025 को ले लिया है. ऋणकर्ताओं को विशेष रूप से एवं आम जनता को इस संपत्ति से संबंधित लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित किसी भी लेन-देन पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित) द्वारा रु. 35,82,554.87/- (रु. पैंतीस लाख बयासी हजार पाँच सौ चौवन और सत्तासी पैसे मात्र) की राशि और उस पर ब्याज का भार वहन किया जाएगा. उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो सुरक्षित परिसंपत्तियों के मोचन हेतु उपलब्ध समय के संबंध में है.

बंधक संपत्ति का विवरण

भू-राजस्व सर्वेक्षण संख्या 819 और 820 का भाग, भूखंड संख्या 35-बी (नया क्रमांक A/1) का वह पूरा टुकड़ा, जो भूखंड बाग मदारुल मुहम्मद साहिब, बाग दिलकुशा के पास, रायसेन रोड, वार्ड क्रमांक 41, तहसील-हुजूर, जिला-भोपाल (मध्य प्रदेश) में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 1012.50 वर्ग फुट है और जिसकी सीमा इस प्रकार हैं- पूर्व- खुली भूमि, पश्चिम- भूखंड क्रमांक 35-ए, उत्तर- कॉलोनी रोड, दक्षिण- लाला लाजपतराय की संपत्ति.

दिनांक : 12-11-2025
स्थान : मध्य प्रदेश
ऋण खाता संख्या : 29677575

प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में समामेलित)

सत्यमेव जयते

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
वर्ष 2025-26 के लिए
एससी तथा अन्य लाभवंचित समूहों के छात्रों हेतु
मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्तियों की घोषणा करता है।

घटक 1: एससी छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति

पात्रता	कार्य क्षेत्र	छात्रवृत्ति
एससी वर्ग से संबंधित छात्र; माता-पिता / अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए	मान्यता प्राप्त विद्यालयों के कक्षा 9 तथा कक्षा 10 में अध्ययनरत छात्र; लाभार्थियों का चयन राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र द्वारा किया जाएगा; सबसे गरीब परिवारों के आवेदको को प्राथमिकता	प्रतिवर्ष डे स्कॉलर के लिए 3500/- रुपए और हॉस्टलर के लिए 7000/- रुपए का अकादमिक भत्ता; दिव्यांग छात्रों (विशेष रूप से सक्षम) के लिए 10% अतिरिक्त भत्ता

घटक 2: अस्वच्छ एवं खतरनाक व्यवसाय में कार्यरत माता-पिता/अभिभावकों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति

पात्रता	कार्य क्षेत्र	छात्रवृत्ति
छात्र जिनके माता-पिता/ अभिभावक अस्वच्छ एवं खतरनाक व्यवसाय में कार्यरत हैं; कोई आय सीमा पात्रता नहीं है	मान्यता प्राप्त विद्यालयों के कक्षा 1 से कक्षा 10 में अध्ययनरत छात्र; लाभार्थियों का चयन राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र द्वारा किया जाएगा; सबसे गरीब परिवारों के आवेदको को प्राथमिकता	प्रतिवर्ष डे स्कॉलर के लिए 3500/- रुपए और हॉस्टलर के लिए 8000/- रुपए का अकादमिक भत्ता; दिव्यांग छात्रों (विशेष रूप से सक्षम) के लिए 10% अतिरिक्त भत्ता

- छात्र के पास वैध **मोबाइल नम्बर, आधार नम्बर (यूआईडी), आधार से जुड़ा बैंक खाता, आय प्रमाण-पत्र, पिछले वर्ष की मार्कशीट तथा जाति प्रमाण-पत्र होना चाहिए।**

- योजना के दिशा-निर्देश तथा विस्तृत पात्रता मानदंड नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध हैं।
https://socialjustice.gov.in/schemes/23

योजना के दिशा-निर्देशों के लिए QR कोड स्कैन करें

सीबीसी-38101/11/0033/2526